



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 486]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 24, शक 1942

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-2-1-2017-बारह-2-पार्ट.— खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक-एफ-2-1-2017-बारह-2, दिनांक 25 जुलाई 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

अनुक्रमांक – 3 में, द्वितीय पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“यदि खनिज की उपस्थिति तथा उसकी मात्रा, “खान (खनिज अंतर्वर्स्तु का साक्ष्य) नियम, 2015” के उपबंधों के अनुसार पाई जाती है, तो आगामी तीन वर्षों की कालावधि के भीतर विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.”.

No. F-2-1-2017-XII-2-Part.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 67 of the Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, the State Government, hereby, makes the following amendment in the even numbered notification no. F-2-1-2017-XII-2, dated 25th July, 2017, namely :-

AMENDMENT

In serial no. 3, for second para, the following para shall be substituted, namely :-

“If the presence of mineral and quantity thereof is found as per the provisions of “The Mines (Evidence of Minerals Contents) Rules, 2015” detailed prospecting report shall be furnished within a further period of three years.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. आर. भौसले, अपर सचिव।